न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2022 **दायर दिनांकः 11/02/2022**

उनवान

1. चेतना कुमारी आयु 60 वर्ष पत्नि सुशील कुमार ब्राहमण
2. शालिनी आयु 38 वर्ष पुत्री सुशील कुमार ब्राहमण निवासीगण मूण्डला तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।

आदेश दिनाकः 16/03/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मूण्डला की खाता संख्या 300 का ख0नं0 131 का रकबा 1.13 है0, ख0 नं0 132 का रकबा 0.77 है0, ख0 नं0 144/1205 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 145 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 547 का रकबा 0.13 है0, ख0 नं0 548 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 70 का रकबा 0.35 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.60 है0 आराजी प्रार्थीगण के शामलाती खाते में स्थित है। नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थियागण के क्रमशः पति, पिता का नाम सुनिल कुमार प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थिया चेतना कुमारी के पति का नाम अन्य रिकार्ड में सुशील कुमार तथा शालिनी के पिता का नाम सुशील कुमार दर्ज है। आधार कार्ड की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसको दुरस्त करवाकर प्रार्थियागण क्रमशः पति व पिता का नाम

सुनिल कुमार के स्थान पर सुशील कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रार्थियागण के कमशः पुत्र व भाई अंकित कुमार पुत्र सुशील कुमार का आदेश प्रदान कर दिया गया था लेकिन सहवन से प्रार्थियागण के कमशः पति व पिता का नाम दुरूस्त करने के आदेश से रह गया था। छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थियागण के कमशः पति व पित का नाम सुनिल कुमार के स्थान पर सुशील कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी पेश नहीं करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये गये ।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थियागण के कमशः पति व पिता का नाम सुनिल कुमार के स्थान पर सुशील कुमार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। संवत 2074–77 की जमाबन्दी ग्राम मूण्डला के खाता संख्या 300 में प्रार्थिया कम 1 का नाम सहखातेदार के रूप में चेतनाकुमारी पत्नि सुनिलकुमार तथा प्रार्थिया कम 2 का नाम सहखातेदार शालीनी पुत्री सुनिलकुमार दर्ज रिकार्ड है। अन्य दस्तावेज प्रार्थिया कम 1 का नाम आधार कार्ड में चेतना गौतम पत्नि सुशील कुमार गौतम दर्ज है। प्रार्थिया कम 2 का नाम शालिनी गौतम पुत्री सुशील कुमार गौतम दर्ज है। उक्त संबंध में इस न्यायालय के प्र0सं0 56/2021 प्रशासन गावों के संग केम्प कुन्जैड दिनांक 11.10.2021 को सहखातेदार अंकित कुमार पुत्र सुनिल कुमार के स्थान

पर अंकित कुमार पुत्र सुशाील कुमार दर्ज किये जाने के आदेश किये गये थे जिसके आधार पर प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थियागण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल मूण्डला की खाता संख्या 300 का ख0नं0 131 का रकबा 1.13 है0, ख0 नं0 132 का रकबा 0.77 है0, ख0 नं0 144/1205 का रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 145 का रकबा 0.75 है0, ख0नं0 547 का रकबा 0.13 है0, ख0नं0 548 का रकबा 0.07 है0, ख0नं0 70 का रकबा 0.35 है0 कुल किता 7 का रकबा 3.60 है0 में सहखातेदार प्रार्थीया क्रम 1 चेतना कुमारी पत्नि सुनिल कुमार के स्थान पर चेतना कुमारी पत्नि **सुशील कुमार** तथा प्रार्थिया क्रम 2 शालीनी पुत्री सुनिल कुमार के स्थान पर शालीनी पुत्री **सुशील कुमार** दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां